आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी0डी0एस0 रिविजन वाद संख्याः–116 / 2021

मोहन प्रसाद

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
16.01.2023	प्रस्तुत रिविजन वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 6684 / 2020 में दिनांक 23.11. 2021 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है, जिसमें अंकित है कि :– "The Revisional Authority shall decide the revision on merits, in compliance of the principles of natural justice. The Revisional Authority shall pass a reasoned and speaking order, within a period of 8 weeks from the date of filling of the revision copy where of be supplied to the parties. Equally liberty reserved to the parties to take recourse to such other remedies as are otherwise available in accordance with law. We have not expressed any opinion on merits and all issues are left open." यह वाद जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा आपूर्ति अपील वाद संख्या 21 / 2018 में दिनांक 29.11.2019 को पारित आदेश के	

WEB COPY NOT OFFICIAL

विरूद्ध दायर किया गया।

रिविजनकर्ता के अनुसार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज के द्वारा दिनांक 02.08.2018 को पूर्वाह्न 11:20 बजे रिविजनकर्ता के जन वितरण प्रणाली के दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :–

(1) निरीक्षण के क्रम में दुकान बंद पाया गया।

(2) वार्ड संख्या 13 के उपभोक्ताओं ने बताया कि तीन माह से राशन नहीं मिल रहा है।

(3) निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आपके द्वारा माह जुलाई 2018 का खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है।

(4) अनुज्ञप्ति स्थल पर दुकान का संचालन नहीं किया जा जाता है।

(5) फुड कैलेण्डर नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज द्वारा उनसे तीन दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस जारी किया गया। समय सीमा के अन्दर रिविजनकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित कर दिया। आगे विक्रेता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 02.08.2018 को विक्रेता ने उपभोक्ताओं के बीच राशन का वितरण करने के पश्चात् कुछ जरूरी काम से बाजार गये थे। राशन नहीं मिलने के संबंध में इनका कहना है कि इन्होंने फुड कैलेण्डर के नियमों का पालन करते हुए राशन वितरण किया है, जो वितरण पंजी से स्पष्ट होता है। साथ ही, उनका यह भी दावा है कि वर्ष 2018 में वर्षा के कारण रास्ता अवरूद्ध हो गया था, अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए व्यवसाय स्थल को परिवर्तित किया गया था एवं इस आशय का लिखित आवेदन विक्रेता द्वारा 20.07.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज को दिया गया। इस प्रकार विक्रेता के द्वारा दुकान के संचालन में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। उन पर लगाये गये सभी आरोप बेबुनियाद है। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने विक्रेता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार किये बगैर तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किये बिना एवं आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिये बगैर

WEB COPY NOT OFFICIAL

उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है, जो गलत है। निम्न न्यायालय द्वारा भी बिना किसी स्वतंत्र इकाई से आरोपों का जांच कराये तथा बिना किसी साक्ष्य के अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज के आदेश को संपुष्ट करते हुए आपूर्ति अपील वाद संख्या 21/18 को खारिज कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार रिविजनकर्ता ने अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी एवं निम्न न्यायालय ने सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

रिविजनकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज द्वारा दिनांक 02.08.2018 को 11:20 बजे रिविजनकर्ता के दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं पर अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज ने अपने पत्रांक 334, दिनांक 12.09.2018 से विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की। विक्रेता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज ने पुनः अपने पत्रांक 350, दिनांक 27.09.2018 से 7 दिनों के अंदर द्वितीय स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त अपने पत्रांक 07, दिनांक 27.10.2018 से उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया है, जिसके विरूद्ध विक्रेता समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के यहां वाद संख्या 21/18 दायर किया। समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने भी विक्रेता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अपने मुखर आदेश से अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को संपुष्ट किया। जिससे स्पष्ट है कि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा नैसर्गिक न्याय के साथ–साथ सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना आदेश पारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विक्रेता द्वारा खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जांच के दिन वे किसी जरूरी काम से बाजार चले गये थे,

WEB COPY NOT OFFICIAL

	जिससे स्पष्ट होता है कि वे जांच के दिन अनुपस्थित थे, अर्थात दुकान बंद थी। ज्ञात हो कि पी0डी0एस0 अनुज्ञप्तिधारी की अनुपस्थिती में भी दुकान को निर्धारित समयावधि में संचालन के लिए किसी एक और व्यक्ति को विधिवत अनुज्ञप्ति पदाधिकारी से प्राधिकृत कराकर कराने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी दुकान किसी बहाना से बंद रखना नियम संगत नहीं है। अब जहां तक विक्रेता द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि स्थल परिवर्तन हेतु उनके द्वारा सक्षम प्राधिकार को आवेदन दिया गया था, परन्तु वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन के पश्चात् ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह साबित हो सके कि उनके द्वारा दिये गये स्थल परिवर्तन के आवेदन पर किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति/स्वीकृति हो। बिना किसी सक्षम प्राधिकार के दुकान का बंद रखना उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराना एवं अनुज्ञप्ति स्थल पर दुकान का संचालन नहीं किया जाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। उक्त तथ्यों एवं अभिलेख से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत रिविजन वाद को खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL